क्रम-संख्या—142

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1577 / 79-वि-1—20-1(क)-4-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 जिससे कार्मिक अनुभाग—2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में लागू विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 1 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2—जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं या पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप एफ0एन0 36039/1/2019 ई0एस0टी0टी0(आर0ई0एस0), दिनांक 19—01—2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों से है;

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों से है और जिसमें निम्नलिखित की सेवायें और पद सम्मिलित हैं:—

(एक) स्थानीय प्राधिकारी;

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें समिति की अन्यून इक्यावन प्रतिशत अंश पूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत हो;

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय, जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें अन्यून इक्यावन प्रतिशत समादत्त अंश पूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत हो;

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई ऐसी शिक्षण संस्था, जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करती हो, जिसमें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय सम्मिलित है;

(पाँच) जिनके सम्बन्ध में आरक्षण, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को ऐसे शासनादेशों द्वारा लागू था जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन आच्छादित नहीं हैं;

(घ) "आरक्षण" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण से है;

(ङ) किसी रिक्ति के संबंध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की ऐसी अवधि से है जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के सापेक्ष सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में आरक्षण

3—(1) लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर भर्ती की जाने वाली दस प्रतिशत रिक्तियाँ, नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित की जायेंगी:

परन्तु इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी हेतु लागू नही होगा:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, आरक्षण की प्रसुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।

(2) इस धारा के अधीन आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अधीन उपबंधित आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

(3) कार्मिक अनुभाग–2 की संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी0सी0-II, दिनांक 18 फरवरी, 2019 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप, इस धारा के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचना कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/2019/4/1/2002/का–2/2019टी0सी0, दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा एक रोस्टर जारी किया है जो अनवरत् रूप से तब तक लागू रहेगा, जब तक कि उसे समाप्त न कर दिया जाय।

(5) यदि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति, योग्यता के आधार पर किसी खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ चयनित किया जाता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जायेगा।

(6) जहाँ किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष में उपधारा (1) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई निश्चित की गयी रिक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के किसी उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण न भरी जा सके, वहाँ ऐसी रिक्तियाँ, आगामी भर्ती वर्ष के लिये बैकलाग के रूप में अग्रनीत नहीं की जायेंगी और उक्त रिक्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भर ली जायेंगी।

इस अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्तियां

4–(1) राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को सौंप सकती है।

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

शास्ति

5–(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी, जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया हो, जो इस अधिनियम के प्रयोजन का जानबूझकर उल्लंघन करने या उसे विफल करने के आशय से कार्य करता हो, दोषसिद्ध होने पर, ऐसे कारावास से जो तीन माह तक हो सकता है, या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई न्यायालय, इस धारा के अधीन राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अभिलेख माँगने की शक्ति

6—यदि राज्य सरकार के संज्ञान में यह आता है कि धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों या इस निमित्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

आय और आस्ति प्रमाण—पत्र

7—इस अधिनियम के अधीन उपबंधित आरक्षण के प्रयोजन के लिए आय और आस्ति प्रमाण—पत्र, राज्य के ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी, जो तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का न हो, द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे प्रपत्र में जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबंध करे, जारी किया जायेगा।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2019/4/1/2002/का—2/19 टी0सी0—II, दिनांक 18 फरवरी, 2019, इस धारा के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा।

कठिनाईयों को दूर करना

8—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

9—इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

10—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति

11—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने पर अनुसूची को तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

आदेश इत्यादि का रखा जाना

12—धारा 3 की उपधारा (4) और धारा 4 तथा धारा 8 के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

व्यावृत्तियां

13—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व आरम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले, विधि के उपबन्धों और शासनादेशों के अनुसार, जैसा कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण—जहाँ सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार—

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हो, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया आरम्भ हुई समझी जायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूची

[धारा 3 (1) देखें]

ऐसे व्यक्ति, जिनके परिवार के पास निम्नलिखित किसी आस्ति का स्वामित्व या कब्जा हो, परिवार की आय पर ध्यान दिये बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रूप में अभिज्ञानित किये जाने से अपवर्जित होंगे;

एक–5 एकड़ और उससे अधिक की कृषि भूमि;

दो–1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

तीन–अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड;

चार–अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

ऊपर यथा उल्लिखित परिवारों की आय और उनकी आस्तियों का सत्यापन, राज्य में तहसीलदार की श्रेणी से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा। ऐसा अधिकारी, जो प्रमाण-पत्र जारी करेगा, समस्त सुसंगत दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने के पश्चात् ऐसा करेगा।

उद्देश्य और कारण

संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंधों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 36039/1/2019–ई एस0 टी0 टी0 (आर0 ई0 एस0), दिनांक 19 जनवरी, 2019 के निर्देश के अनुसार भारत सरकार के सिविल पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध किया गया है।

अतएव, राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान योजना के अतिरिक्त नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं तथा पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण और उससे संबंधित या आनुषांगिक मामलों का उपबंध करने के लिए एक विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है ।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1577(2)/LXXIX-V-1–20-1(ka)-4-20

Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Sewa (Arthik Roop se Kamjor Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Karmik Anubhag-2, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS) ACT, 2020

(U.P. Act No. 10 OF 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the reservation in public services and posts in favour of the persons belonging to the Economically Weaker Sections of citizens in addition to the existing reservation applicable in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HERERBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 1, 2019.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "appointing authority" in relation to public services and posts means the authority empowered to make appointment to such services or posts;

(b) "Economically Weaker Sections of citizens" means the persons belonging to Economically Weaker Section, as defined in the Office Memorandum F. No. 36039/1/2019 Estt. (Res), dated 19-01-2019 of D.O.P.T. Ministry of Personnel and Public Grievance and Pension, Government of India for the time being in force;

(c) "public services and posts" means the services and posts in connection with the affairs of the State and includes services and posts in-

(i) a local authority;

(ii) a co-operative society as defined in clause (f) of section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 in which not less than fifty-one per cent of the share capital of the society is held by the State Government;

(iii) a Board or a corporation or a statutory body established by or under a Central or Uttar Pradesh Act which is owned and controlled by the State Government, or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 in which not less than fifty-one per cent of the paid up share capital is held by the State Government;

(iv) an educational institution owned and controlled by the State Government or which receives grants in aid from the State Government, including a University established by or under an Uttar Pradesh Act, except an institution established and administered by minorities referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution;

(v) in respect of which reservation was applicable by the Government orders on the date of commencement of this Act and are not covered under sub-clauses (i) to (iv) ;

(d) "Reservation" means reservation for Economically Weaker Section in vacancies of posts and services in the State of Uttar Pradesh;

(e) "year of recruitment' in relation to a vacancy means a period of twelve months commencing on the first of July of a calendar year within which the process of direct recruitment against such vacancy is initiated.

Reservation in favour of Economically Weaker Section

3. (1) In public services and posts, at the stage of direct recruitment, ten per cent of vacancies to which recruitment are to be made, there shall be reserved in favour of the persons belonging to Economically Weaker Sections of citizens:

Provided that the reservation shall not apply to the category of Economically Weaker Sections of citizens specified in the Schedule to this Act:

Provided further that the candidates from out of the State of Uttar Pradesh shall not be eligible for benefits of reservation under this Act.

(2) The reservation under this section shall be in addition to the reservation provided under the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(3) The office memorandum issued by Karmik Anubhag-2 vide no. 1/2019/4/1/2202/ka-2/19T.C.II, dated 18.02.2019 shall be deemed to have been issued under this section.

(4) For applying the reservation under sub-section (1), roaster has been issued by notification O.M. No. 5/2019/4/1/2002/ka-2/2019T.C.-I, dated 13th August, 2019 by the State Government which shall be continuously applied till it is exhausted.

(5) If a person belonging to Economically Weaker Sections of citizens gets selected on the basis of merit in an open competition with unreserved candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

(6) "Where in any particular recruitment year any vacancy earmarked under sub-section (1) for Economically Weaker Sections cannot be filled up due to non availability of a suitable candidate belonging to Economically Weaker Sections such vacancies shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog and the said vacancy shall be filled by the eligible candidates of unreserved category."

Responsibility and powers for compliance of this Act

4. (1) The State Government may, by notified order, entrust the appointing authority or any officer or employee with the responsibility of ensuring the compliance of the provision of this Act.

(2) The State Government may, in the like manner, invest the appointing authority or officer or employee referred to in sub-section (1) with such powers or authority as may be necessary for effectively discharging the responsibility entrusted to him under sub-section (1).

Penalty

5. (1) Any appointing authority or officer or employee entrusted with the responsibility under sub-section (1) of section 4 who willfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purpose of this Act shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

(3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provision of sub-section (1) of section 262, section 263, section 264 and section 265 of the Code of Criminal Procedue, 1973 shall *mutatis mutandis* apply.

Power to call for record

6. If it comes to the notice of the State Government, that any person belonging to Economically Weaker Sections mentioned in sub-section (1) of section 3 has been adversely affected on account of non compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders issued in this behalf by the appointing authority, it may call for such records and take such action as it may consider necessary.

Income and Assets certificate

7. For the purpose of reservation provided under this Act, income and assets certificate shall be issued by such authority or officer not below the rank of Tehsildar in the State and in such manner and in such form as the State Government may, by order, provide.

The office memorandum no. 1/2019/4/1/2002/ka-2/19T.C.II, dated 18^{th} February, 2019 shall be deemed to have been issued under this section.

Removal of difficulties

8. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

9. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or the rules made thereunder. *Protection of action taken in good faith*

10. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. *Power to make rules*

11. The State Government may, by notification amend the Schedule and upon the publication of such notification in *Gazette,* the Schedule shall stand amended accordingly. *Power to amend the Schedule*

12. Every order made under sub-section (4) of section 3 and sections 4 and 8 shall be laid as soon as may be, before each House of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act. *Laying of Order etc.*

13. The provisions of this Act shall not apply to cases in which selection process has been initiated before commencement of this Act and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of law and Government order as they stood before such commencement. *Savings*

Explanation: For the purposes of this section the selection process shall be deemed to have been initiated where, under the relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of-

(i) written test or interview only, the written test or the interview, as the case may be, has started, or

(ii) both written test and interview, the written test has started.

(2) The provisions of this Act shall not apply to appointment, to be made under the Uttar Pradesh Recruitment of Dependent of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974.

SCHEDULE

[*See* Section 3 (1)]

Persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS (Economically Weaker Section), irrespective of the family income:

i. 5 acres of Agricultural Land and above;

ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

The income and assets of the families as mentioned above would be required to be certified by an officer not below the rank of Tehsildar in State. The officer who issues the certificate would do the same after carefully verifying all relevant documents.

195 RPH 2020 (Adhiniyam) data-4e

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 and with reference of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training *vide* O.M. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.), dated 19th January, 2019, has been made provision of 10 per cent reservation to Economically Weaker Sections (EWSs) in civil posts and services in the Government of India.

It has therefore been decided to make a law to provide 10 per cent reservation in Public Services and Posts in favour of persons belonging to the Economically Weaker Sections (EWSs) of citizens in addition to the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

The Uttar Pradesh Public Services Reservation for Economically Weaker Sections Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 195 राजपत्र–2020–(572)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 153 सा० विधायी–2020–(573)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

195 RPH 2020 (Adhiniyam)-data- 4c